

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 25.07.2023

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4242 / उपायुक्त, पलामू के पद पर पदस्थापित श्री ए० दोड्डे, भा.प्र.से. (झा:2011) (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक दुमका जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4243 / उपायुक्त, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा.प्र.से. (झा:2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।


2. श्री भजन्त्री अपने प्रतिस्थानी के साथ देवघर श्रावणी मेला, 2023 के संबंध में सभी जानकारी व्यावहारिक रूप से साझा करने के पश्चात् प्रभार का आदान-प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4244 / उपायुक्त, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री रवि शंकर शुक्ला, भा.प्र.से. (झा:2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सरायकेला-खरसावाँ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

2. श्री शुक्ला अपने प्रतिस्थानी के साथ बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2023 के संबंध में सभी जानकारी व्यावहारिक रूप से साझा करने के पश्चात् प्रभार का आदान-प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4245 / उप विकास आयुक्त- सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री शशि भूषण मेहरा, भा.प्र.से. (झा:2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4246 / निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, भा.प्र.से. (झा:2013) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पाकुड़ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।



संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4247 / क्षेत्रीय निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची क्षेत्र, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:2013) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सिमडेगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4248 / उपायुक्त, खूँटी के पद पर पदस्थापित श्री शशि रंजन, भा.प्र.से. (झा:2014) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पलामू जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।


संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4249 / उपायुक्त, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री वरुण रंजन, भा.प्र.से. (झा:2014) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक धनबाद जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4250 / उत्पाद आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री कर्ण सत्यार्थी, भा.प्र.से. (झा:2016) (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड विभरेज कॉरपोरेशन, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गुमला जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4251 / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती मेघा भारद्वाज, भा.प्र.से. (झा:2016) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कोडरमा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगी।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4252 / निदेशक, कृषि, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (झा:2016) (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक रामगढ़ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4253 / संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री हिमांशु मोहन, भा.प्र.से. (झा:2016) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक लातेहार जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।



संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4254 / निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विशाल सागर, भा.प्र.से. (झा:2016) (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, JSAC (Jharkhand Space Application Centre) तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क लि0) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक देवघर जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या- 1/पी0-101/2022 का०- 4255 / आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री लोकेश मिश्र, भा.प्र.से. (झा:2016) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक खूँटी जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

2. इस अधिसूचना के क्रम में प्रभार रहित पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान करेंगे।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/पी0-101/2022 का०- 4255 / राँची, दिनांक 25.07.2023

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/ कॅरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषागार, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पार्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखण्ड राज्य के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।